मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 29, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 119 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 111 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर (श्योपुर) में बी.पी.एल. सूची में परिवारों के नाम न छूटने,
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा, खाचरौद में विद्युत सतर्कता दल द्वारा भ्रष्टाचार करने,
(3) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद के पिपरिया में संस्कृत बोर्ड के परिणाम रोके जाने,
(4) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की बछोना (छतरपुर) में फर्जी दस्तावेजों से जमीन की खरीदी करने,
(5) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य की शिवपुरी के कई ग्रामों के स्कूलों में शिक्षकों का अभाव होने,
(6) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य की सतना हवाई अड्डे की भूमि पर बाउन्ड्री वाल न बनाये जाने,
(7) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार के ग्रामों में कम बोल्टेज की विद्युत का प्रदाय,
(8) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर के बरगी स्वास्थ्य केन्द्र को लोक स्वा. विभाग में मर्ज न करने,
(9) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी एवं खरगौन जिले में विद्युत संकट होने,
(10) श्री ओंमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले में चिकित्सकों की कमी होने,
(11) श्री केदारनाथ शुक्ला, सदस्य की अमरपाटन (सतना) में जारी कार्यों में अनियमितता होने,
(12) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा कृषि उपज मंडी में कृषकों के अनाज क्रय न किये जाने,
(13) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य की अलीराजपुर जिले में स्वीकृत नलकूप खनन किये जाने,
(14) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने,
(15) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के थाना रठौरा के दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई न करने,
(16) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की भिण्ड जिले के मौ में घटिया टंकी निर्माण करने,
(17) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की बालाघाट में बगैर परमिट की बसे चलने,

(18) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद सर्व शिक्षा अभियान सड़क निर्माण राशि न बढाने,

(19) श्री भंवर राजा मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में खाद वितरण में अव्यवस्था होने,

(20) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह में मिर्ची के व्यापार से स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ने,

(21) श्री ब्रजमोहन धूत, सदस्य की खातेगांव के ग्रामों की फसले नष्ट होने तथा

(22) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की प्रदेश में पानी के पाईपों पर पैकिंग एवं एक्सपायरी डेट अंकित न होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित का 44वां एवं 45वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 पटल पर रखे।

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का तृतीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखे।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 13 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम आठ ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(1) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने श्योपुर जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा सीमेंट क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम हिनौतिया में दूषित पेयजल पीने से ईलाज के अभाव में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रत्नेश सॉलोमन, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने प्रदेश में डेंगू एवं मलेरिया के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत किये गये कार्य अपूर्ण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

5. सदन के समय में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्यों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।

6. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(5) सर्वश्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), नर्मदा प्रसाद प्रजापति, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने बालाघाट जिले के वारासिवनी में दलित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के बड़वाह जनपद पंचायत अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम जिले में शासकीय भूमि के दस्तावेजों में हेरा-फेरी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने शासकीय विभागों में लगे निजी वाहन मालिकों द्वारा कर की चोरी किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(9) सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, आरिफ अकील, अजय सिंह, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में किसानों को खाद, बीज न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(10) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों से अधिक शुल्क लिये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(11) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य, होशंगाबाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिछोर द्वारा किसान क्रेडिट के नाम पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा वित्त मंत्री का वक्तव्य तथा

(13) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य, म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जेल प्रहरी परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट न दिये जाने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य
सदन में पढ़े माने गए।

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री पारस दादा, सदस्य ने याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजमाता विजियाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

श्री पारस दादा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 14 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।
श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 25 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 25 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में अन्त्योदय स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को दस हजार रुपये अनुदान दिया जाता है, उसके स्थान पर बड़ी लागत की योजनाओं में 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाय" तथा चर्चा में भाग लिया :-

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होने के पश्चात्, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (कुंवर विजय शाह) की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

"यह घोर आपत्तिजनक है। संसदीय कार्य मंत्री यह सुनिश्चित कराये कि जिन मंत्रियों का कार्यसूची में नाम हो, विषय हो, वे या तो सदन में उपस्थित रहे अथवा आसंदी या कार्यालय को सूचित करके जाये। मैं विभागीय मंत्री के व्यवहार के प्रति अप्रशन्नता व्यक्त करता हूँ इस अशासकीय संकल्प को बाद में लिया जायेगा।"

11. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(2) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सिंगरौली से व्हाया ब्यौहारी, कटनी, बीना होकर भोपाल तक तथा भोपाल से सिंगरौली ट्रेन सायंकालीन चलाई जाय".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामलल्लू वैश्य
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला
(3) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(4) श्री विश्वामित्र पाठक

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से पुरी (जगन्नाथपुरी) तक नई ट्रेन व्हाया बिलासपुर-रायगढ़ चलाई जाय" तथा चर्चा में भाग लिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की अनुपस्थितिवश निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

"सदन का यह मत है कि भोपाल सहित प्रदेश में जो शराब की दुकानें धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के पास संचालित हो रही हैं उन्हें नियमानुसार शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाय."

12. मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन, भत्तों आदि संबंधी समिति के गठन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन, भत्तों आदि संबंधी समिति के गठन की निम्नानुसार घोषणा की गई :-

(1)	श्री हरवंश सिंह	उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(2)	श्री राघवजी	वित्त मंत्री
(3)	डॉ. नरोत्तम मिश्रा	संसदीय कार्य मंत्री
(4)	श्री केदारनाथ शुक्ल	सदस्य, विधान सभा
(5)	डॉ. गोविन्द सिंह	सदस्य, विधान सभा
(6)	श्री लक्ष्मण तिवारी	सदस्य, विधान सभा
(7)	श्री रामलखन सिंह	सदस्य, विधान सभा
(8)	श्रीमती नीता पटेरिया	सदस्य, विधान सभा
(9)	श्री नागर सिंह चौहान	सदस्य, विधान सभा

श्री हरवंश सिंह, माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा समिति के सभापति होंगे।

डॉ. ए.के. पयासी, प्रमुख सचिव, विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति विचार हेतु प्रस्तुत विषय पर अपना मत परीक्षण कर यथाशीघ्र अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत करेंगी।

अपराह्न 2.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 (अग्रहायण 2, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.